23/19

आज पत्रावली पेश
उभय पक्ष उपस्थित / जवाब
बहस सुनी गयी / पत्रावली
दि० 4-10-19 को पेश हो

उपखण्ड

दिनांक 04–10–2019

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय प
प्रार्थिया सुशीला पत्नि रमेशचन्द जाति मीना निवास
तहसील कठूमर की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ
13 सपठित धारा 151 जा.दी. इस प्रकार प्रस्तुत
कि उक्त प्रकरण का दिनांक 29–11–2017 का नि
चुका है। प्रार्थिया ने वादग्रस्त आराजीयात में से खा
का 1/10 भाग रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 4-
किया है। प्रार्थिया को सह खातेदार होने के कारण
पक्षकार नहीं बनाया है। प्रार्थिया को सुने बिना अ
किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है

अप्रार्थीगण हरी, तुलसी व सीताराम की ओर
पत्र इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण
2012 में दावा प्रस्तुत किया गया है उस समय प्रार्थि
नहीं थी और ना ही उसके कब्जा में जमीन थी। प्रा
दिनांक 4–2–15 को भूमि क्रय की थी तो प्रार्थिया
दावा पक्षकार बनना चाहिये था। वादी विश्राम को न्य
प्रार्थिया को पक्षकार बनाना चाहिये था। दौराने दावा
विक्रय कानूनन सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत
प्रार्थिया द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्
गया है जो खारिज किये जाने योगय है। अतः खारिज
जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (जिला दौसा)

[illegible]

[illegible]

[illegible] किया तथा पत्रावली का [illegible] अवलोकन किया। [illegible] की मूल पत्रावली का अवलोकन करते हैं तो पाते है कि ग्राम कोट तहसील महवा की आराजी खसरा नम्बर 2460, 2656, 2657, 2658, 2659, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, कुल किता 13 रकबा 3.30 हैक्टयर की खातेदारी हरी तुलसी सीताराम पि. देवीदान हि.ब. 1/3, रामप्रसाद पुत्र छोटी, विश्राम पुत्र इसबू जाति जोगी हि.ब. 2/3 सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। इसके पश्चात खातेदार रामप्रसाद ने खसरा नम्बर 2658, 2662, 2664, 2665 का 1/3 भाग फतेह मोहम्मद को विकय कर दिया इससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत करते समय प्रार्थिया खातेदार नहीं है इसलिये उसे पक्षकार नहीं बनाया गया था। खातेदार विश्राम द्वारा दिनांक 4–2–15 को 1/10 हिस्सा प्रार्थिया सुशीला को विकय कर दिया जिसके आधार पर प्रार्थिया के नाम नामान्तरकरण संख्या 1069 खोला जाकर स्वीकार किया गया तथा सुशिला को खातेदार दर्ज किया गया। इससे यह तथ्य सामने आता है कि वाद प्रस्तुत करते समय प्रार्थिया खातेदार नहीं थी तथा खातेदार विश्राम द्वारा दौराने दावा आराजी का विकय प्रार्थिया को किया गया है विश्राम की जानकारी में था कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में उन्होने विभाजन का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो लम्बित है इसलिये विश्राम को केता को यह बताना चाहिये था कि विवादित भूमि के संबंध में वाद लम्बित है तथा केता को भी प्रकरण में पक्षकार बनना चाहिये था। इसके अलावा आदेश 9 नियम 13 जा. दी. का प्रश्न है तो यह प्रार्थना पत्र केवल प्रतिवादी ही प्रस्तुत कर सकता है। आदेश 9 नियम 13 जा.दी. के प्रावधान निम्न प्रकार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज हरी बनाम फलेह मोहम्मद मु. सं. 74/18

प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करना:– किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय पारित की गयी है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश लिये आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गयी थी और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि सम्मन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गयी थी या वह वाद की सुनवाई के लिये पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो खर्चो के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निर्बन्धनों पर जो वह ठीक समझे, न्यायालय यह आदेश करेगा कि जहां तक डिक्री उस प्रतिवादी के विरूद्ध है वहां तक वह अपास्त कर दी जाये, और वाद में आगे कार्यवाही करने के लिये दिनांक नियत करेगा।

इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी ही आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रकरण में प्रार्थिया प्रतिवादी नही थी इसलिये प्रार्थिया को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा. दी. प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 व सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)